राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./140/2006/भरतपुर

1– ओम प्रकाश
2– लक्ष्मीकान्त
} पुत्रान पोखन सिंह, जाति ब्राह्मण, निवासी जाटोली घना, तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. मोहन सिंह पुत्र पुत्र मेवाराम, जाति ब्राह्मण, निवासी जाटोली घना, तहसील व जिला भरतपुर।

...रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य
श्री महेन्द्र कुमार पारख, सदस्य

उपस्थित–
श्री जे0के0 पारीक, अभिभाषक अपीलार्थी
रैस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नहीं

दिनांक : 15.10.2020

निर्णय

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 209/2002 शीर्षक 'ओमप्रकाश बनाम मोहनसिंह' में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2005 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/वर्तमान अपील के अपीलान्टस ने प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 इस आशय के साथ न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत किया कि वादीगण सविक खसरा नम्बर 106 रकबा 3–14 बीघा के खातेदार काश्तकार हैं। उक्त सविक नम्बर से भू प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 104 रकबा 64 ऐयर बनाया गया है जिस पर वादीगण काबिज हैं किन्तु उक्त खसरा नम्बर का रकबा प्रतिवादी ने बन्दोबस्त से मिलकर मात्र 46 ऐयर करवा दिया बाकी का रकबा 18 ऐयर का नया खसरा नम्बर 104/1113 दर्ज करा दिया और अपनी खातेदारी में दर्ज करा लिया, जो अनुचित है। खसरा नम्बर 104/1113 रकबा 18 ऐयर वास्तव में वादीगण के कब्जकाश्त खातेदारी का है। वादपत्र में अनुतोष चाहा कि दावा वादी डिक्री कर खसरा नम्बर 104/1113 रकबा 18 ऐयर पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये। प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी के कथनों से असहमति जाहिर करते हुए दावा खारिज करने का निवेदन किया। परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर, भरतपुर ने निर्णय दिनांक 30.03.2002 से दावा वादी खारिज किया। उक्त निर्णय के

विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के निर्णय दिनांक 15.12.2005 से अपील खारिज की गई। जिसके विरूद्ध हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– बहस के दौरान योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। उन्होंने कथन किया कि साविक खसरा नम्बर 106 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा अपीलार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त का रहा है। भू प्रबन्ध में जो नवीन खसरा नम्बर 104 उक्त साविक नम्बर 106 से कायम किया गया है उसका रकबा 46 ऐयर ही अपीलार्थी की खातेदारी में दर्ज किया है और इसी खसरा नम्बर से कायम किया है। खसरा नम्बर 104/1113 रकबा 18 ऐयर अविधिक रूप से प्रतिवादी/रैस्पो0 की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया हैं। इस संबंध में योग्य अधिवक्ता का कथन है कि बन्दोबस्त विभाग ने पहले साविक नम्बर से नवीन नम्बर 104 रकबा 64 ऐयर ही बनाया था मगर बाद में रकबा 18 एअर कम कर के खसरा नम्बर 104 का रकबा 46 एअर कर कर दिया, जो खसरा पत्रक से भी साबित है अतः खसरा नम्बर 104/1113 का रकबा 18 ऐयर वादीगण/अपीलार्थीगण के खातेदारी का ही है। न्याय दृष्टान्त 2017(1) आर0आर0टी0 पेज 664, 2009 आर0आर0डी0 पेज 456, 2008(1) आर0आर0टी0 पेज 152 एस0सी0 प्रस्तुत कर कथन किया कि भू प्रबन्ध विभाग को अपने स्तर पर अंकनों को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में ये भी कथन किया कि वादीगण द्वारा खसरा नम्बर 106 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा को अपनी बहिन सुशीला कुमारी से क्रय किया गया था। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने किसी भी तनकी को दस्तावेजी साक्ष्य से विवेचित नहीं किया है और अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी सरसरी तौर पर परीक्षण करते हुए परीक्षण न्यायालय के निर्णय को अविधिक रूप से पुष्ट किया है। अधीनस्थ न्यायालयों के स्तर पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 की पालना नहीं की गई है जो कि आववश्यक थी, इस बिन्दु पर न्याय दृष्टान्त 2014 आर0आर0डी0 पेज 5, 2013(1) आर0आर0टी0 पेज 652 एस0सी0 उद्धरित किए। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाये और दावा वादी डिक्री किया जायें।

5– प्रत्युत्तर में योग्य अधिवक्ता रैस्पो0 ने कथन किया कि वादीगण द्वारा खसरा नम्बर 106 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा जो सुशीला की खातेदारी में दर्ज है को पंजीबद्ध विक्रय पत्र से क्रय करना बताया है किन्तु किसी प्रकार का क्रय सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। खसरा नम्बर 104/1113 रकबा 18 बिस्वा वास्तव में साविक नम्बर 95 रकबा 14 बिस्वा से बना है जो प्रतिवादी/रैस्पो0 की खातेदारी का है। वादीगण का प्रश्नगत आराजी से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है अतः परीक्षण न्यायालय द्वारा वादी के वाद को खारिज करने में और इस निर्णय की प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि करने में किसी प्रकार की विधि या तथ्यात्मक भूल नहीं की है। समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं होने से अपील खारिज की जाये।

6– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन, अध्ययन किया गया।

7– प्रकरण में परीक्षण पर सुस्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के समक्ष वादी/वर्तमान अपील के अपीलार्थीगण द्वारा वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि वाके मौजा अघापुर स्थित आराजी साविक खसरा नम्बर 106 रकबा 3–14 बीघा वादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की है और भू प्रबन्ध में उक्त साविक नम्बर से बनाया गया हाल खसरा नम्बर 104 रकबा 64 ऐयर में वादीगण को मात्र 46 ऐयर रकबा दिया है और खसरा नम्बर 104/1113 रकबा 18 ऐयर प्रतिवादी की खातेदारी मे दर्ज कर दिया गया है जबकि खसरा नम्बर 104/1113 रकबा 18 ऐयर वास्तव में वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी का है। अतः खसरा नम्बर 104/1113 रकबा 18 ऐयर पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये। पाया जाता है कि वर्तमान अपील के मद संख्या 10 में वादीगण द्वारा खसरा नम्बर 106 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा को सुशीला से क्रय करने का तथ्य अंकित किया है। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 में स्पष्ट रूप से माना है कि "वादीगण द्वारा कोई बयनामा अथवा दाखिल खारिज की नकल प्रस्तुत नहीं की है इसलिए यह निश्चित नहीं किया जा सकता है कि वादीगण ने कब व कितना रकबा खरीदा था।" यहां यह उल्लेखनीय है कि क्रय के सम्बन्ध में निश्चयात्मक साक्ष्य/क्रय दस्तावेज अपीलार्थीगण द्वारा न तो प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष और ना ही द्वितीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वादी/ अपीलार्थी के द्वारा यह कथन किया गया है कि खसरा नम्बर 106 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा से ही नवीन खसरा नम्बर 104/1113 रकबा 18 ऐयर कायम कर भू प्रबन्ध द्वारा बिना अधिकार के प्रतिवादी के खाते में दर्ज कर दिया गया है जो कि वादीगण के कब्जे काश्त में है, किन्तु मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पुराने खसरा नम्बर 106 के नये खसरा नम्बर 104 है। खसरा नम्बर 104/1113 साविक खसरा नम्बर 95 रकबा से बनाया गया है ना कि खसरा नम्बर 106 से। अपीलान्ट का यह कथन तो सही है कि उसका रकबा साविक के मुकाबले कम हुआ है लेकिन कम हुआ रकबा कौन से खसरा नम्बर में मिला है इसे पुष्ट करने के लिए किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। दावा वादी का रहा है और इसे दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर साबित करने का भार वादी का ही था जिसे साबित करने में वादीगण पूर्णतया असफल रहे है। जहॉ तक योग्य अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्याय दृष्टान्त 2017(1) आर0आर0टी0 पेज 664, 2009 आर0आर0डी0 पेज 456, 2008(1) आर0आर0टी0 पेज 152 एस0सी0 का सम्बन्ध है तो इनमें दी गई व्यवस्था कि भू प्रबन्ध विभाग को पूर्व के अंकनों को अपने स्तर पर परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है, से हम सहमत हैं किन्तु वर्तमान प्रकरण में वादीगण इसे साबित नहीं कर पाए हैं, अतः ये दृष्टान्त वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर चस्पा नहीं होते हैं। इसी प्रकार से उद्धरित अन्य न्याय दृष्टान्त 2014 आर0आर0डी0 पेज 5, 2013(1) आर0आर0टी0 पेज 652 एस0सी0 भी वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं। परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में विधवत रूप से तनकीयात कायम करते हुए विवेचन उपरान्त वादपत्र को खारिज किया है जिसके पुष्टि करने में अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने किसी प्रकार की तथ्यात्मक या विधिक भूल नहीं की है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित है। न्याय दृष्टांत RBJ (4) 1997 page 39 DB BOR, RBJ (16) 2009 page 725 DB BOR, RBJ (14) 2007 page 35 RHC में स्पष्ट रूप से मत प्रतिपादित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार कर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने की स्थिति में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप उचित नहीं है। अतः अपील सारहीन होना प्रतीत होती है।

8– फलतः उपरोक्त विवेचन व विधिक प्रावधानों के अनुसरण में अपील अपीलार्थी सारहीन होने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र कुमार पारख)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य